कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.–9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 137/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 09.04.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 09.04.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

जनपद– आजमगढ़

☐ मिशन शक्ति फेज 5.0 (द्वितीय चरण) के तहत परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण की बैठक आयोजित

☐ कुल 03 प्रकरणों की सुनवाई, 01 मामले में सफलतापूर्वक कराया गया समझौता

☐ काउंसलिंग व मीडिएशन के माध्यम से पारिवारिक विवादों के समाधान की पहल

☐ नई किरण प्रोजेक्ट से बिखरे परिवारों को जोड़ने का सतत प्रयास

आजमगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/नोडल अधिकारी मिशन शक्ति श्री चिराग जैन तथा पर्यवेक्षण अधिकारी श्रीमती आस्था जायसवाल, क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 (द्वितीय चरण) के अंतर्गत दिनांक 09.04.2026 को परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण की बैठक आयोजित की गई।

➡☐ बैठक में कुल 03 प्रकरणों में दोनों पक्षों को दूरभाष/नोटिस के माध्यम से सूचित कर मीडिएशन हेतु बुलाया गया, जिसमें सभी पक्षकार उपस्थित रहे। गहन काउंसलिंग के उपरांत 01 प्रकरण में अथक प्रयास से आपसी सहमति के आधार पर समझौता कराया गया।

➡☐ उक्त प्रकरण में ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ना, मारपीट, सहयोग न करना एवं भरण-पोषण (खाना-खर्चा) न देने के आरोप लगाए गए थे, जिन्हें काउंसलिंग व मीडिएशन के माध्यम से सुलझाया गया।

➡☐ शेष प्रकरणों में अग्रिम तिथि नियत कर पक्षकारों को पुनः सुनवाई हेतु नोटिस/दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया।

➡☐ नई किरण प्रोजेक्ट के माध्यम से बिखरे हुए परिवारों को पुनः एकजुट करने एवं सामाजिक सौहार्द स्थापित करने का सतत प्रयास किया जा रहा है, जिससे पारिवारिक न्यायालयों पर बढ़ते कार्यभार को भी कम किया जा सकेगा।

➡☐ इस अवसर पर उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी (प्रभारी परिवार परामर्श प्रकोष्ठ), उ0नि0 सत्यनारायण यादव, आरक्षी जितेन्द्र कुमार शाह, आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता एवं महिला आरक्षी नेहा सिंह उपस्थित रहे।

कुल समझौते – 01

1. कंचन पत्नी राजू प्रसाद, ग्राम दबदबा, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।

थाना – साइबर क्राइम, जनपद आज़मगढ़, दिनांक : 09 अप्रैल 2026

साइबर फ्रॉड गैंग का खुलासा, फर्जी साइबर अधिकारी बनकर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का सदस्य गिरफ्तार, धोखाधड़ी में प्रयुक्त मोबाइल बरामद

डॉ0 अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आज़मगढ़ के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चिराग जैन व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री विवेक त्रिपाठी के कुशल पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम श्रीमती आस्था जायसवाल के मार्गदर्शन मे थाना साइबर क्राइम आजमगढ़ की टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई |

घटना व गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 17.01.2025 को वादी मुकदमा श्री नागेन्द्र मिश्र पुत्र स्व श्री हरिनरायण मिश्र ग्राम झोटीपुर पोस्ट महाराजगंज थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ के मोबाइल पर राजेश मिश्रा नामक व्यक्ति द्वारा फोन करके खुद को साइबर क्राइम का अधिकारी बताकर प्रार्थी के ऊपर मनी लाड्रिंग की FIR दर्ज होना बताया। वादी मुकदमा को गिरफ्तारी का भय दिखाकर डरा धमकाकर व मामले का निस्तारण कराने के नाम पर 3487998/- रूपये भिन्न भिन्न खातो में जमा करा लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध मे वादी मुकदमा नागेन्द्र मिश्रा उपरोक्त द्वारा थाना स्थानीय पर प्रा0पत्र देकर मु0अ0सं0 08/2025 धारा 318(4), 319(2), 204, 351(4) BNS व 66C, 66D IT ACT पंजीकृत कराया। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 337, 338 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तथा प्रकाश मे आये अभियुक्तगण कौशिक सरवैया व भगीरथ सिंह जाला को पूर्व मे साइबर थाना टीम द्वारा दिनांक 21.06.2025 को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात विवेचना से अभियुक्त आदिल हुसैन पुत्र इमामुल हक निवासी 22 परसा उर्फ अगलहवा गोरखपुर उम्र करीब 24 वर्ष का नाम प्रकाश मे आया। जिसको साइबर थाना टीम द्वारा दिनांक 8.4.2026 को जनपद गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया।

अपराध का तरीका (Modus Operandi)

अभियुक्त अपने अन्य साथियों के साथ साइबर फ्राड मे संलिप्त था। साइबर फ्राड का पैसा अपने खाते मे मंगाकर यूपीआई के माध्यम से अपने साथियों के खाते मे ट्रान्सफर कर देता था जिनसे कैश निकलवाकर लाभ प्राप्त कर लेता है। फ्राड का पैसा मंगाने के लिए खातों को उपलब्ध कराता था।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम (01)

1. आदिल हुसैन पुत्र इमामुल हक निवासी 22 परसा उर्फ अगलहवा गोरखपुर उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी

कार्यवाही में निम्न माल बरामद हुआ—

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

01 अदद मोबाइल फोन (Android)

कार्यवाही में सम्मिलित पुलिस टीम

म0नि0 विभा पाण्डेय थाना साइबर क्राइम

उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद यादव थाना साइबर क्राइम

का0 एजाज खान

का0 सभाजीत मौर्य

का0 विकास कुमार

का0 महिपाल यादव (चालक)

थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के प्रकरण में वांछित 01 अभियुक्त घटना में प्रयुक्त लाठी के साथ गिरफ्तार किया गया।

पूर्व की घटना का सक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 09.04.2025 को वादी सुभाषचन्द्र पुत्र बुद्धूराम निवासी ग्राम मनियारपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि विपक्षीयों द्वारा लकड़ी फेंकने के विवाद को लेकर एक राय होकर वादी, उसकी माँ व बहन के साथ भद्दी गाली-गलौज करते हुए लाठी-डण्डों से मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 137/26 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस बनाम 01. राजेश कुमार पुत्र वंशराज 02. वंशराज पुत्र स्व0 सोमईराम 03. रूपावती देवी पत्नी राजेश कुमार निवासीगण मनियारपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 09.04.2026 को उ0नि0 मनोज कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर अचलीपुर लिंक मार्ग से अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र वंशराज निवासी ग्राम मनियारपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 35 वर्ष को समय करीब 09:35 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद लाठी ग्राम मनियारपुर स्थित गेहूं के खेत से बरामद की गई। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 137/26 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राजेश कुमार पुत्र वंशराज निवासी ग्राम मनियारपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष।

बरामदगी-

01. घटना में प्रयुक्त एक अदद लाठी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01. उ0नि0 मनोज कुमार यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

02. का0 मनोज सिंह यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

थाना – फूलपुर, जनपद आजमगढ़

नाबालिग युवती को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 20.11.2025 को वादी द्वारा थाना फूलपुर पर लिखित सूचना दी गई कि उसके परिजन को गांव के ही कुछ व्यक्तियों द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है, जिसमें नामजद अभियुक्तों अजीत यादव पुत्र जयनरायन यादव, गुलशन यादव पुत्र निक्कू यादव का संलिप्तता होना बताया गया। उक्त सूचना के आधार पर थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 553/2025 धारा 87/137(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 सत्येन्द्र कुमार द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

उ0नि0 सत्येन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अजीत यादव पुत्र जयनरायन यादव निवासी भदसार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 23 वर्ष को दिनांक 08.04.2026 को समय 20:15 बजे स्थान बिलारमऊ से हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

01. अजीत यादव पुत्र जयनरायन यादव निवासी ग्राम भदसार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 23 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 553/2025 धारा 87/137(2) बीएनएस थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

पुलिस टीम–उ0नि0 सत्येन्द्र कुमार का0 अनुपम सिंह म0का0 सपना तिवारी थाना फूलपुर आजमगढ़।

थाना – कोतवाली, जनपद आजमगढ़
साइबर फ्रॉड का सफल अनावरण करते हुए ATM व UPI के दुरुपयोग से की गई धोखाधड़ी में हड़पी गई कुल ₹3,25,000 की धनराशि पुलिस द्वारा पूर्णतः वापस कराई गई

पूर्व की घटना का विवरण–

आवेदिका रीना प्रजापति पुत्री स्व0 लालजी प्रजापति, निवासी अराजीबाग, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना कोतवाली पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनका एटीएम कार्ड प्राप्त कर पिन जनरेट कर लिया गया तथा उनके बैंक खाते से लगभग ₹3,25,000 की धनराशि निकाल ली गई थी। उक्त घटना की जानकारी आवेदिका को दिनांक 02.04.2026 को हुई।

जांच/कार्यवाही का विवरण–

प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए थाना कोतवाली के साइबर प्रभारी एवं टीम द्वारा त्वरित जांच की गई। तकनीकी विश्लेषण में पाया गया कि आवेदिका के परिचित आशीष कुमार प्रजापति पुत्र रामशरीख प्रजापति निवासी ग्राम सठियांव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा एटीएम कार्ड प्राप्त कर मोबाइल से पिन जनरेट किया गया तथा ओटीपी के माध्यम से UPI (फोनपे) आईडी बनाकर एटीएम व UPI दोनों माध्यमों से विभिन्न किस्तों में कुल ₹3,25,000 की धनराशि निकाल ली गई।

बरामदगी/राशि वापसी का विवरण–

थाना कोतवाली की साइबर टीम द्वारा तत्परता व तकनीकी दक्षता का परिचय देते हुए नियमानुसार कार्यवाही कर पीड़िता की संपूर्ण फ्रॉड धनराशि ₹3,25,000 सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

साइबर अपराध के तरीके–

अपराधी प्रायः OTP/पिन प्राप्त कर, फर्जी KYC अपडेट, UPI रिक्वेस्ट, QR कोड स्कैन, ऑनलाइन खरीद-बिक्री, सोशल मीडिया हैकिंग व स्क्रीन शेयरिंग ऐप के माध्यम से लोगों को ठगते हैं।

बचाव के उपाय–

किसी भी व्यक्ति को OTP, PIN, CVV साझा न करें, अनजान लिंक/कॉल से सावधान रहें, QR कोड स्कैन सोच-समझकर करें, केवल अधिकृत ऐप/वेबसाइट का ही उपयोग करें तथा अपने बैंकिंग विवरण गोपनीय रखें।

जनहित में अपील–

यदि आपके खाते से बिना जानकारी के कोई धनराशि कटती है तो तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें तथा अपने बैंक व नजदीकी थाने को तुरंत सूचित करें।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम–

01. उ0नि0 सागर कुमार रंगु, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
02. का0 नीरज पटेल, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
03. का0 विवेक कुमार साहू, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।